३. संविधान की विशेषताएँ

पिछले दो पाठों में हमने भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान की उद्देशिका का अध्ययन किया । प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को समझा। उद्देशिका में उल्लिखित ये उद्देश्य हमारे संविधान की विशेषताएँ भी हैं । इसके अतिरिक्त संविधान की अन्य दूसरी कौन-सी विशेषताएँ हैं; इसे हम इस पाठ में देखेंगे ।

संघराज्य : संघीय राज्यव्यवस्था हमारे संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषता है । भूप्रदेश विशाल हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली है । उसे संघराज्य प्रणाली कहते हैं। विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन होता है । सुदूर प्रदेश दुर्लक्षित हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर नहीं मिलता । अतः संघराज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं । संपूर्ण देश की सुरक्षा, विदेश नीति, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं । इसे 'केंद्र सरकार' अथवा 'संघ शासन' भी कहते हैं । केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है ।

जिस प्रदेश में हम रहते हैं; उस प्रदेश का प्रशासन चलाने वाले शासन को 'राज्य सरकार' (राज्य शासन) कहते हैं । राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का प्रशासन चलाती है । जैसे-महाराष्ट्र राज्य सरकार । दो स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को 'संघराज्य' कहते हैं ।

अधिकारों का विभाजन : संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है । उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास हैं; यह देखेंगे । हमारे संविधान ने तीन सूचियाँ बनाई है और उनमें विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है ।

प्रथम सूची को 'संघ सूची' कहते हैं । इस सूची में ९७ विषय हैं तथा इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है । राज्य सरकार की 'राज्य सूची' है । इस सूची में ६६ विषय हैं । इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है । इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची होती है । इस सूची को 'समवर्ती सूची' कहते हैं । इसमें ४७ विषय हैं। इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं । इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए-से निर्माण होता है तो उसपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है । इस अधिकार को 'अवशिष्ट शक्तियाँ' कहते हैं ।

क्या तुम जानते हो ?

भारतीय संघराज्य में अधिकारों का विभाजन वैशिष्टपूर्ण है । इस प्रकार के विभाजन से संघ सरकार और राज्य सरकार को एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए देश का विकास साधना संभव होता है । इस प्रणाली में देश के शासन में नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है ।

कौन-से विषय किसके पास हैं ?

(१) संघ सरकार के अधीन विषय : रक्षा, विदेश नीति, युद्ध एवं शांति, मुद्रा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि ।

(२) राज्य सरकार के अधीन विषय : कृषि, कानून एवं व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन आदि ।

(३) दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय : रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कानून, शिक्षा आदि ।

संघ शासित प्रदेश : भारत में एक संघ सरकार, २८ राज्य सरकारें और ९ संघशासित प्रदेश हैं ।

संघशासित प्रदेशों पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है । नई दिल्ली, दमण-दीव, पुदुच्चेरी, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली, अंदमान-निकोबार, लक्ष द्वीप, जम्मू और काश्मीर, लद्दाख संघशासित प्रदेश हैं ।

करके देखो

पूर्वोत्तर राज्यों की सूची बनाओ । वहाँ के राज्यों की राजधानी के शहर कौन-से हैं ?

संसदीय शासन प्रणाली : भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए हैं । संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते हैं । भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है । प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है । संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होनेवाली चर्चाएँ, विचार विमर्शों को महत्त्व प्राप्त रहता है ।

स्वतंत्र न्यायपालिका : भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है । जब विवादित मुद्दों का एक-दूसरे के बीच हल निकाला नहीं जा सकता; ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं । न्यायालय दोनों पक्षों की जिरह सुनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है; उसे दूर

क्या तुम जानते हो ?

प्रचलित नोट

तुमने प्रचलित नोट देखे हैं? उनपर 'केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत' अंकित रहता है।

पुलिसकर्मी के कंधे पर लगे बिल्ले को तुमने देखा होगा । उसपर 'महाराष्ट्र पुलिस' लिखा होता है ।

तुमने 'भारतीय रेल' और 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल' पढ़ा होगा ।

इसका अर्थ यह होता है कि हमारे देश में दो स्तरों पर सरकारें हैं । एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार जैसे-महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार आदि ।

महाराष्ट्र पुलिस-बोध चिह्न

भारतीय रेल-बोध चिह्न

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल-बोध चिह्न

कर न्याय करता है । यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक होता है ।

न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े; इसलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं । जैसे–न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं । न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता।

इकहरा नागरिकत्व : भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व प्रदान किया गया है । वह है–'भारतीय' नागरिकत्व ।

संविधान में संशोधन करने की पद्धति : संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है परंतु संविधान में बार-बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है । अत : किसी भी प्रकार का संशोधन करते समय उसपर समग्र विचार किया जाना चाहिए । इसके लिए भारतीय संविधान में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है । संविधान में किसी भी प्रकार का किया जानेवाला संशोधन इसी

प्रक्रिया द्वारा करना आवश्यक होता है । संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया बड़ी वैशिष्ट्पूर्ण है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है । किए जानेवाले महत्त्वपूर्ण संशोधन पर विचार-विनिमय करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता-सरलता से किया जाएगा; इतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में है।

ढूँढ़ो

अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है ?

निर्वाचन आयोग : निर्वाचन आयोग के बारे में तुम समाचारपत्र में हमेशा पढ़ते होगे । हमारे देश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद जनता को अपने प्रतिनिधि पुनः नए-से चुनकर देने होते हैं । इसके लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं । ये चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना आवश्यक होता है । तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही प्रत्याशी को चुनकर भेज सकते हैं । यदि सरकार

बताओ तो

वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन हैं ?
चुनावी आचार संहिता किसे कहते हैं ?
निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं ?

चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही; ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता । इसलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है । वह संस्थान अर्थात 'निर्वाचन आयोग' है । भारत में सभी महत्त्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है ।

भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएँ हैं । इस पाठ में हमने उनमें से कतिपय महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का ही अध्ययन किया है । मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत प्रावधानों का होना हमारे संविधान की और एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे ।

स्वाध्याय

१. संघराज्य शासन प्रणाली के अनुसार अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया है; इसकी सूची निम्न तालिका में बनाओ ।

संघ सरकार	राज्य सरकार	वे विषय जो दोनों सरकारों के पास हैं।
(१)	(१)	(१)
(२)	(२)	(२)
(३)	(३)	(३)

२. उचित शब्द लिखो :

(१) संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था-
(२) वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है-
(३) दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची-

३. लेखन करो :

(१) संघ राज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं ।
(२) अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं ?
(३) संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ।

४. 'स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि' इस विषय पर कक्षा में सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन करो।

५. इलेक्ट्रोनिक मतदान यंत्र (EVM) का उपयोग करने से कौन-से लाभ प्राप्त होते हैं; इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

उपक्रम

कक्षा में निर्वाचन आयोग का गठन करो । उस निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में कक्षा के चुनाव संपन्न कराओ ।